राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–व–15(13)पुविशा/भण्डार/सीमित निविदा/2018–19/10668-70 दिनांक:- 05-11-18

Limited Bid सीमित बोली प्रस्ताव संख्या–2/2018–19
दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12.11.2018 प्रातः 11.00 बजे

राज्य विशेष शाखा मुख्यालय, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु आई कार्ड डोरी एवं पाउच क्रय करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 30 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम–16 के अन्तर्गत सीमित बोली (Limited Bid) विनिर्माताओं/प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा केन्द्रो, सद भाविक व्यवहारियों/सेवा प्रदाताओं से आमन्त्रित किये जाते है जो कि दिनांक 02.11.2018 को कार्यालय से प्राप्त कर एवं विभागीय वैबसाईड http://police.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से डाउनलोड कर दिनांक 12.11.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा तथा उसी दिन दोपहरः 03.00 बजे खोले जायेगें। सामान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	आईटम का नाम	मात्रा
1	परपल कलर डोरी (विभागीय नमूना अनुसार)	1400 नग
2	गहरी नीली डोरी (विभागीय नमूना अनुसार)	7000 नग
3	लाल डोरी (विभागीय नमूनां अनुसार)	1000 नग
4	नीली डोरी (विभागीय नमूना अनुसार)	4000 नग
5	प्लास्टिक पाउच अधिकारीगण (विभागीय नमूना अनुसार)	1000 नग
6	प्लास्टिक पाउच कर्मचारी (विभागीय नमूना अनुसार)	8000 नग
7	फाईल कवर (विभागीय नमूना अनुसार)	2500 नग

शर्ते

1. प्रत्येक निविदादाता/बिडर अपनी दरें सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें ।
2. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं ।
3. निविदा दरें स्पष्ट रूप से अंकित करें, इस हेतु टंकित दरें अपेक्षित हैं। जहॉ तक संभव हो उसमें कोई कांट–छाट ना हो। कांट–छाट होने की स्थिति में निविदादाता उस पर अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित करें ।
4. प्रस्तुत निविदा के प्रत्येक प्रपत्र पर संबंधित फर्म की मोहर व हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
5. दरें समस्त प्रकार के कर एवं किराये–भाडे सहित देनी होगी तथा सप्लाई इस कार्यालय के भण्डार अनुभाग 614–F, 6th floor, CID (I.B.) Jaipur में पहुँचानी होगी, जिसके लिये अलग से कोई किराया–भाडा/मजदूरी देय नहीं होगी।
6. मांग की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्वि की जा सकती है।

7. निविदादाता फर्म/प्रतिष्ठान को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा, जिसका प्रमाण निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. सप्लाई आदेश जारी होने के 15 दिवस में सप्लाई करनी आवश्यक होगी।
9. सामग्री का विस्तृत विवरण कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता हैं।
10. निविदा के लिफाफे पर निविदा का नाम, संख्या व अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करें।

(प्रीति चन्द्रा)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना, राज. जयपुर।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ।
1. मैसर्स सी.एच. ट्रेडस, हीदा की मोरी गलता रोड, जयपुर।
2. मैसर्स सुपर एन्टरप्राईजेज, 481, मुंशी राम दास जी का रास्ता, गंगापोल जयपुर।
3. मैसर्स बाबा एशोसिएट, 482 आमेर रोड, मुंशीरामदास जी का रास्ता, जयपुर।
4. मैसर्स सुफल इन्फोटैक 6/222 प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर।
5. मैसर्स विनायक एन्टरपाईजेज, प्लाट नं. डी 138 दुर्गापथ, अम्बाबाडी, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना, राज. जयपुर।